न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 24/2013

अपीलांट

1. तेजाराम पुत्र मूलाराम
2. जैसाराम पुत्र मूलाराम
3. मुकेश पुत्र मूलाराम
4. रमेश पुत्र मूलाराम
5. पानीदेवी पत्नी मूलाराम

   जातियान माली निवासीयान बिठूजा तहसील पचपदरा

बनाम

रेस्पोडेंटस

1. तहसीलदार पचपदरा
2. तगाराम पुत्र पूनमाराम
3. ताराराम पुत्र धन्नाराम
4. बाबूलाल पुत्र धन्नाराम
5. भूराराम पुत्र धन्नाराम
6. बक्सूदेवी पत्नी धन्नाराम

   जातियान माली निवासीयान बिठूता तहसील पचपदरा

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 22.01.2013 जो तहसीलदार पचपदरा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2465 पर पारित किया गया।

उपस्थित– 1. रेस्पाडेटस 01 की ओर से नायब तहसीलदार उपस्थित।
2. अपीलांटस व रेस्पोडेटस सं. 02 से 06 अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक 15.5.2016**

1. संक्षेप में अपीलांट की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांटस व रेस्पोडेंटस संख्या 2 से 6 की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा बिठूजा पटवार क्षैत्र बिठूजा तहसील पचपदरा में खेत खसरा नंबर 162 रकबा 03 बिस्व व खसरा नंबर 163 रकबा 20.10 बीघा कुल रकबा 20.13 बीघा आई हुई है। अपीलांटगण द्वारा पिता मूलाराम के फौत होने पर अपीलांटगण के नाम से नामान्तरकरण भरने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निवेदन किया गया, जिस पर रेस्पोडेंटस संख्या 01 ने अपीलांटस के पूर्वज मूला की फौतगी नामान्तरकरण के साथ वादग्रस्त भूमि में हिस्सों का अंकन करते हुए नामान्तरकरण संख्या 2465 पारित किया गया। जबकि रेस्पोडेंटस संख्या 01 को वादग्रस्त भूमि में हिस्सों का अंकन करने का अधिकार नहीं था। इस संबंध में सहायक कलक्टर बालोतरा में विचाराधीन वाद संख्या 17/2007 में दिनांक 13.4.2011 को

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया था। राजस्व वाद सहायक कलक्टर बालोतरा के न्यायालय में विचाराधीन है। इसप्रकार रेस्पोडेंटस संख्या 01 ने न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए आलौच्य नामान्तरकरण पारित किया। अपीलांटस को उक्त नामान्तरकरण के द्वारा विवादित आराजी में हिस्सों का अंकन करने बाबत पूर्व मे जानकारी नहीं थी परन्तु एक माह पूर्व वाद संख्या 17/2007 के संबंध में वर्तमान जमाबंदी की नकल हल्का पटवारी से प्राप्त की तो अपीलांटस को जानकारी हुई, जानकारी से यह अपील अन्दर म्याद है फिर भी सदभाविक रूप से हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु अलग से प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम का पेश किया है। अपीलांटस ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है।

2. हमने अपील अपीलांटस दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंटस को सम्मन जारी किये एवं अपीलाधीन पत्रावली तलब की। पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व कोर्ट केम्प पचपदरा में पेश हुई। जिसके लिए पक्षकारान एवं अभिभाषक को नोटिस की तामीली करा दी गई है। अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस संख्या 02 से 06 अनुपस्थित। रेस्पोडेंटस संख्या 01 की ओर से नायब तहसीलदार जसोल उपस्थित रहे।

3. हमने उभयं पक्षो की बहस सुनी। रेस्पोडेंटस संख्या 01 की ओर से नायब तहसीलदार जसोल ने लिखित में अवगत कराया कि माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा मे विचाराधीन वाद संख्या 17/2007 तगाराम वगैराह बनाम तेजाराम वगैरहा में राजीनामा अनुसार दिनांक 8.6.2015 को बाईमिट्स एण्ड बाउन्डस का बंटवाड़ा करने का निर्णय होने के कारण इस बाद को चालु रखने का कोई औचित्य नहीं है। सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा पारित निर्णय की प्रति संलग्न् कर, अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

4. हमने अपीलाधीन पत्रावली, उस पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांटस ने यह अपील ग्राम बिठूजा के नामान्तरकरण संख्या 2465 जो कि खातेदार मूलाराम के फौत होने पर वारिसान के नाम भरा गया था, उक्त नामान्तरकरण में हल्का पटवारी ने बिना किसी आधार के 1/3 – 1/3 हिस्सा स्वविवेक से दर्ज कर दिये थे, जिससे व्यथीत होकर अपीलांटस ने अपील दायर की है। चूंकि सहायक कलक्टर बालोतरा में विचाराधीन वाद का राजीनामा अनुसार दिनांक 8.6.2015 को बाई मिट्स एण्ड बाउन्डस का बंटवाडा करने का निर्णय पारित किये जाने के फलस्वरूप

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

इस अपील को चालु रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। लिहाजा अपीलांटस की अपील खारिज की जाती हैं।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

कार्यालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

आदेश खुले न्यायालय केम्प पचपदरा में आज दिनांक 15.6.2016 को कोर्ट केम्प पचपदरा में उपस्थितजनो के समक्ष खुले में सुनाया गया।

अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)